

सं. 4/3/2020-आईआर II
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त, 2023

विषय: केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भारत सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियां और कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार हैं।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है।
3. अधिनियम यह प्रावधान करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त:-
 - (i) विधि, विज्ञान और प्राद्यौगिकी, समाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यमों अथवा प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा।
 - (ii) कोई संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, का सदस्य नहीं होगा अथवा कोई अन्य लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होगा अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा अथवा कोई व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाला नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाभ के पद के धारण, किसी वृत्ति अथवा किसी व्यापार की समाप्ति मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु एक पूर्व शर्त है।
4. 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों तथा राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2019 के अनुसार होंगी।
6. मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले और इच्छुक व्यक्ति **केवल संलग्न प्रपत्र** में अपना विवरण अवर सचिव (आईआर-II), कमरा सं. 215ए/II, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डाक द्वारा अथवा usrti-dopt@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जो **29 अगस्त, 2023 को अपराहन 5:00 बजे से पहले** पहुंच जाएं। राज्य/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य संगठन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों को अपना विवरण उचित माध्यम (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/) द्वारा **निर्धारित तारीख से पहले ही** भेजना चाहिए।


अरुण कुमार दाहिया
07/8/23
(अरुण कुमार दाहिया)
अवर सचिव, भारत सचिव
दूरभाष: 23092759

टिप्पणी: इच्छुक आवेदकों द्वारा सामान्य जानकारी हेतु, जैसा उचित हो, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्यसूचना आयुक्त के पद हेतु विचार करने के लिए विवरण भेजने हेतु प्रपत्र

कृपया पासपोर्ट आकार का
नवीनतम फोटो चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तारीख :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क सूत्र :
 - क). टेलीफोन (एसटीडी कोड सहित) :
 - ख). मोबाइल :
 - ग). फैक्स :
5. ई-मेल का पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. ख्याति का क्षेत्र (विज्ञापन में 3(i) में दिए गए विवरण अनुसार) :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. यदि सेवानिवृत्त हैं, तो कृपया सेवा, यदि कोई हो, का उल्लेख करें :
10. उपलब्धियां/कार्यानुभव (संलग्नक के अनुसार)

ख्याति का क्षेत्र	
विधि	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
सामाजिक सेवा	
प्रबंधन	
पत्रकारिता	
जनसंचार के माध्यम	
प्रशासन और शासन	

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :

मुख्यसूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण

क्र. सं.	पद	संगठन	अवधि से तक		उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					